संख्या-124/2021/ई-1622529/71-3-2021-

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 21 सितम्बर, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों सिद्धार्थनगर, एटा एवं फतेहपुर में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/53, दिनांक 02.02.2021 एवं महाप्रबन्धक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम के पत्र संख्या-194/म0प्र0(नि0-03)/चिकि0शिक्षा/18, दिनांक 23.12.2021 व पत्र संख्या-195/म0प्र0(नि0-03)/चिकि0शिक्षा/18, दिनांक 23.12.2021, जो आपको सम्बोधित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद- सिद्धार्थनगर, एटा एवं फतेहपुर में स्थपित किये जा रहे स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृत लागत के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि जनपद-सिद्धार्थनगर, एटा एवं फतेहपुर में स्थपित किये जा रहे स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु क्रमशः रू0 150.00 लाख ,रू0 120.00 लाख एवं रू0 150.00 लाख व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृत करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से विस्तृत लागत विवरण निर्माण से पूर्व प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

3- उक्त के क्रम में महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशिक्षण के पत्र दिनांक 02.02.2021 एवं सी0एण्ड डी0 एस0 उत्तर प्रदेश जलनिगम के पृथक-पृथक पत्र दिनांक 23-02-2021 (02 पत्र) द्वारा प्रेषित आगणनों पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण कार्य की प्रायोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत+जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय के अंतर्गत व्यय वित्त समिति के निर्देशों के क्रम में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु निम्नलिखित तालिका के कालम-6 के अनुसार अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	मूल लागत(+जीएसटी नियमानुसार देय)	वाह्य विद्युत संयोजन हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत, जो मूल लागत में सम्मिलित है	सम्बन्धित मेडिकल कालेज का लेखाशीर्षक	वास्तविकता के आधार पर वाह्य विद्युत संयोजन हेतु अतिरिक्त स्वीकृत लागत
1	2	3	4	5	6
1	सिद्धार्थनगर	226.0442	1.50	"4210-03-105-01-0105-(के060/रा040-के0+रा0)"	1.0457
2	एटा	216.8483	1.20	"4210-03-105-01-0101-(के060/रा040-के0+रा0)"	3.8343
3	फतेहपुर	212.4956	1.50	"4210-03-105-01-0104-(के060/रा040-के0+रा0)"	1.5296

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्तानुसार धनराशि निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की जा रही है:-

(1) बाहय विद्युत संयोजन की अतिरिक्त धनराशि संबांधित प्रायोजना की मूल लागत में सम्मिलित मानी जाएगी तथा परियोजना लागत को उक्त सीमा तथा संशोधित समझा जाएगा।

(2) उक्त मेडिकल कालेजों के निर्माण कार्य की प्रायोजना हेतु प्रशा0 एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक पृथक-पृथक शासनादेशों में उल्लिखित सुसंगत शर्ते यथावत् रहेंगी एवं उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन सम्बन्धित मेडिकल कालेजों, उपर्युक्त तालिका के कालम-5 में उल्लिखित लेखाशीर्षक "24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-124/2021/ ई-1622529(1)/71-3-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर, एटा एवं फतेहपुर।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर, एटा एवं फतेहपुर।
7. कोषाधिकारी, जनपद-सिद्धार्थनगर, एटा एवं फतेहपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम!
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।